न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	मु॰न॰ 76/16 तारीख रजू 9.11.16	
	उनवान – हंसराम बनाम गिर्राज वगै॰ नयागांव	
	प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा	
	प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर दिनांक 17.11.16 को पेश हो।	3483-91 / 9-11-16
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
17.11.16	प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थी नं. 1 ता 8 की ओर से मेमो तथा अप्रार्थी नं. 9 के नाबालिग होने की द॰ श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने पेश की। पेश करने वकालतनामा व पेश करने द॰ बाबत नाबालिग दिनांक 17.12.16 को पेश हो।	
17.12.16, 18.12.16	अवकाश	
19.12.16	उभयपक्षी वकील उपस्थित। गतानुसार दिनांक 25-1-17 को पेश हो।	
25.1.17	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनाक 6.3.17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

हँसराम V/s गिराजि मुकदमा नं. 76/16

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

..10.18	वकुलाय उप०। बहस सुनी गयी वास्ते आदेश दिनांक 26.10.18 को पेश हो।। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज0)
..10.18	वकुलाय उप०। वास्ते आदेश दि० 29.10.18 को पेश हो।। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज0)
..10.18	वकुलाय उप०। प्रकरण वास्ते आदेश नियत है। यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है कि आराजी ख. नं. 1140 रकबा 0.09 हैक्टेयर ग्राम नयागाँव तहसील टोडाभीम की खातेदारी हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण के नाम तथा हिस्सा 1/2 की खातेदारी दाताराम S/o बन्ने सिंह के नाम है। उक्त आराजी से सायल के अलावा अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में निर्माण करने, सायल को उपयोग, उपभोग नहीं करने की धमकी दी है इस वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषे० से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में दर्ज कराया है कि उक्त आराजी ख.नं. 1140 रकबा 0.09 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी दाताराम S/o बन्ने सिंह के नाम है। दाताराम की मृत्यु हो चुकी है उसकी कानूनी वारिस एक मात्र मुकेशी पुत्री दाताराम है। उसे पक्षकार नहीं बनाया है। दाताराम के हिस्से की 1/2 आराजी उत्तरप्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व खरीद किया है कब्जा प्राप्त है सायल का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि उक्त आराजी के हिस्से 1/2 की खातेदारी मेरे नाम है 1/2 हिस्से की खातेदारी दूसरे खातेदार दाताराम के नाम है तथा 1/2

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

फर्द अहकाम

दिनांक	
	हिस्सा का इकरारनामा से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है प्रार्थनापत्र स्वीकार कर उन्हे पाबन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि दाताराम के हिस्से वाली 1/2 भूमि को गैरसायलान ने खरीद कर लिया है बहुत अर्से से काबिज है सायल का प्रार्थना खारिज किया जावे।
	वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।
	पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया सायल के नाम ख.नं. 1150 रकबा 0.09 है. में हिस्सा 1/2 की खातेदारी है हिस्सा 1/2 की खातेदारी अन्य खातेदार दाताराम के नाम है अप्रार्थीगण का कोई संबंध होने बाबत कोई दस्तावेज नहीं है शेष 1/2 हिस्सा का इकरारनामा की प्रति पेश की है जो कि बिना पंजीयन स्वीकार योग्य नही है
	अत: यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नयागांव स्थित आराजी खसरा नं. 1150 रकबा 0.09 है. हिस्सा 1/2 के खातेदार सायल के कब्जे काश्त में गैरसायलान किसी भी प्रकार से दखलनदाजी न करे। कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
	निर्णय आज दिनांक 29.10.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज0)

Scanned by CamScanner